

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 29/7/25

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं गवर्नमेंट काउन्सिल्स को विभागों का आवंटन किया गया था। उक्त आदेश में वर्णित श्री सीताराम, तत्कालीन एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल का पूर्व में त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुका है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 28.07.25 की निरन्तरता में राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी हेतु श्री सीताराम, तत्कालीन एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल, जोधपुर के स्थान पर विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

RHC, PRINCIPAL SEAT JODHPUR

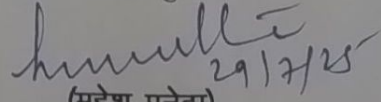
S. No.	Name of Counsel	Department Allocated
1	Shri Subhash Choudhary, AGC	Fisheries Department
2	Shri Kuldeep Vaishnav, DGC	Anit Corruption Bureau (Civil Cases)
3	Shri Pukhraj Suthar, DGC	Department of Information & Public Relations

उक्त आदेश दिनांक 14.08.2025 से प्रभावी होगा।


(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष को लेख है कि आपके विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व विधि अधिकारी से प्राप्त कर संबंधित विधि अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु संबंधित प्रकरण प्रभारियों/नोडल ऑफिसर्स को अविलम्ब निर्देशित किये जाने का श्रम करावें।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
7. समस्त/संबंधित अति. महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल्स, जोधपुर/जयपुर को लेख है कि उन्हें आवंटित प्रकरणों में से ऐसे प्रकरण, जो सुनवाई हेतु दिनांक 14.08.2025 से पूर्व तक लिस्टेड हैं/होते हैं, उन प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पूर्वानुसार (विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.24, 16.10.24 एवं 21.10.24 के अनुसार) पैरवी किया जाना सुनिश्चित करावें तथा इसके पश्चात ही प्रकरणों की पत्रावलियां इस आदेश की क्रियान्विति के क्रम में सम्बन्धित विधि अधिकारी को सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित करावें। शेष सभी पत्रावलियां अविलम्ब संबंधित विधि अधिकारी/अधिवक्ता को उपलब्ध करावें।
8. प्रशासक वादकरण, जोधपुर/जयपुर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. संबंधित गवर्नमेंट काउन्सिल्स।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. संबंधित कोषाधिकारी।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
17. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव